राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बाडमेर

क्रमांक/सर्वे–रिसर्वे/2026/ 4297 दिनांकः–. 01-06-2026

UCMS NO- 2026/302

:: आदेश::

प्रार्थीनी प्रेमकंवर पत्नी नरपतसिंह द्वारा सर्वे रिसर्वे पर आपत्ति दर्ज करते हुए निवेदन किया गया कि सर्वे रिसर्वे के दौरान ग्राम भाटी खेडा तहसील सिवाना के खसरा संख्या 253, 255, 252 व 256 एवं पुराना खसरा संख्या 1107/131 ऑनलाईन नक्शा में त्रुटि होने के कारण अदालत हाजा में प्रार्थना पत्र दायर किया था, अदालत हाजा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 01.01.2024 को निर्णित कर तहसीलदार सिवाना को प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शानुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया गया तथा तहसीलदार सिवाना द्वारा अदालत हाजा द्वारा दिये गये आदेश की पालना कर दी गई परन्तु तहसील सिवाना के सर्वे रिसर्वे के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से अज अदालत में उक्त तरमीम को निरस्त कर पुनः प्रार्थना पत्र पेश रोज से पूर्व की स्थिति कायम कर दी, प्रार्थीनी द्वारा प्रार्थीनी के नवीन खसरा संख्या 256 में वर्तमान तरमीम को निरस्त कर अदालत हाजा द्वारा दिये गये निर्देशानुसार पुनः तरमीम दुरूस्त किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार सिवाना से रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीनी द्वारा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना में ग्राम भाटीखेडा तहसील सिवाना के खसरा संख्या 1107/131 रकबा 01.7705 हैक्टेयर भूमि का तरमीम दुरूस्त हेतु प्रस्तुत आवेदन का माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया गया था,माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में खसरा संख्या 1107/131 की तरमीम दुरूस्त की गई,परन्तु सर्वे–रिसर्वे के दौरान पुरानी मैप इमेज पर कार्य करने के कारण प्रार्थीनी के नक्शें की तरमीम गलत कर दी गई तहसीलदार सिवाना ने सर्वे रिसर्वे के दौरान की गई गलत तरमीम को जांच रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट ''क'' अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित बताया है।

लिहाजा प्रार्थीनी की आपत्ति तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम भाटीखेडा तहसील सिवाना के खसरा संख्या 253, 255, 252 व 256 की ऑनलाईन लट्ठा ट्रेस में विद्यमान वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए जांच रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट ''क'' अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। जांच रिपोर्ट के संलग्न तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्रसिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

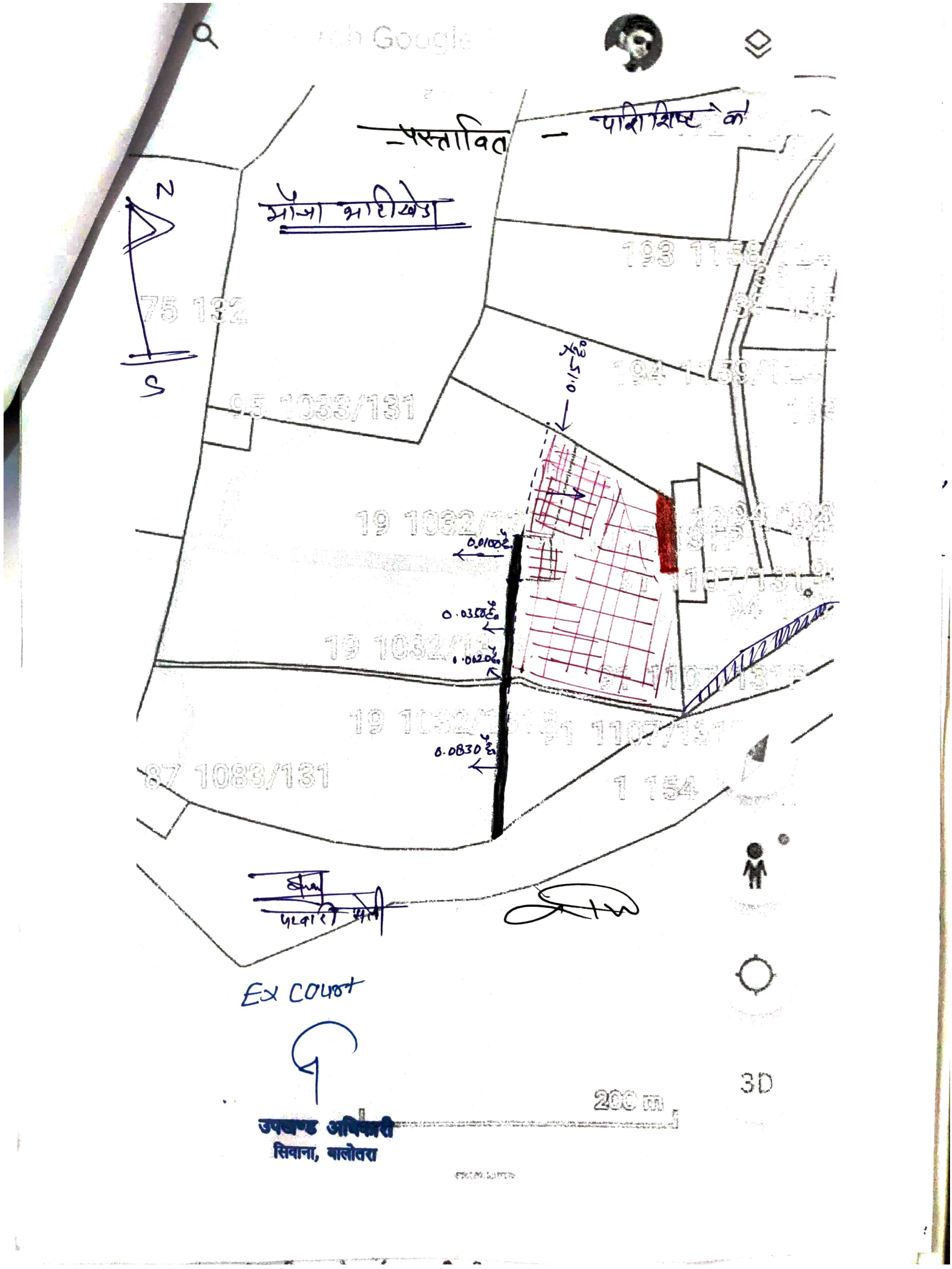
प्रस्तावित — परिशिष्ट क
मौजा भाटीखेड़ा
N
S
75 132
95 1033/131
19 1032/1
0.0100 हे0
0.0350 हे0
0.0830 हे0
87 1083/131
91 1107/131
1 154
पटवारी
Ex Court
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना, बालोतरा
200 m
3D